

प्ररूप अ.डि.33

अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण या उसके समनुदेशन या संबंधित उससे पारेषण के रद्दकरण के लिए आवेदन
(धारा 41 नियम 69)

_____ रजिस्टर में यथाप्रविष्ट _____ पते _____ के नाम रजिस्ट्रीकृत
अभिन्यास डिजाइन संख्या _____ के मामले में

में / हम 1 _____ उपर्युक्त अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकृत 2 / समनुदेशन / पारेषण के रद्दकरण
की सूचना देता हूँ / देते हैं ।
रद्दकरण के आधार निम्नवत् हैं 3,4 _____

आज _____ तारीख _____ मास _____ 20

हस्ताक्षर _____

सेवा में

अभिन्यास डिजाइन अपील बोर्ड

1. पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता बताएँ
2. जो लागू न हो उसे काट दें
3. रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का आधार यह है कि अभिन्यास डिजाइन मौलिक नहीं है या उसके रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन फाइल करने की तारीख से 2 वर्ष से अधिक अवधि के लिए उसका वाणिज्यिक रूप से उपयोग किया गया है तो उसका सबूत / व्यौरा दें (धारा 7 देखें)
4. यदि समनुदेशन / पारेषण विधि के किसी उपबंध (धारा 41 की उपधारा (1) का खण्ड (ख) देखें) के प्रतिकूल है तो उसका सबूत / व्यौरा दें ।
5. समय बढ़ाने की अपेक्षित अवधि भारें जो अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन के आवेदन के विज्ञापन या पुनःविज्ञापन की तिथि , जैसा भी मामला हो 3 महीने से 1 माह अधिक नहीं होम्बे ।
6. अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकृत समुचित कार्यालय के स्थान का उल्लेख करें देखें नियम-4